

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्राथर्ना पत्र

श्रीमान जी,

P10 (Build)

P10

A
29/8/22

- आवेदक का नाम RTI-20957 :- एड० मिन्दू भाटी
- आवेदक का पता 29-8-22 :- चौ० 696 गली नं 18 जिला एवं सत्र न्यायालय गौतम बुद्ध नगर
- आवेदक का फोन नं० :- 9811640075
- चाही गयी जानकारी का विवरण :-
 1. दिनांक 4 दिसंबर 2015 को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण व वर्धमान इंफ्रा बिल्ड के मध्य प्लॉट LS-5 के लिए निष्पादित लीज़ डीड के प्रस्तर 2 (TRANSFER) की शर्त संख्या 1 व शर्त संख्या 2 क्या है ?
 2. क्या वर्धमान इंफ्रा बिल्ड द्वारा आवंटित प्लॉट LS-5 को विधि इंफ्राबिल्ड से निर्माण कराकर व उसमें यूनिट बेचने के लिए अनुबंध/असाइन करने से पूर्व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से स्वीकृति ली गयी है ?
 3. क्या विधि इंफ्रा बिल्ड द्वारा LS-5 का निर्माण कर यूनिट बेचने के लिए विधि इंफ्रा बिल्ड व आवंटी वर्धमान इंफ्रा बिल्ड के मध्य सब लीज़ डीड निष्पादित हुई ?
 4. क्या आवंटी द्वारा आवंटित प्लॉट LS-5 में ROYAL WALK WAY के नाम से परियोजना शुरू करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अनुमति ली गयी है ?
 5. प्लॉट LS-5 के आवंटी द्वारा आवंटित प्लॉट में अब तक किस-किस नाम से परियोजना शुरू की गई है ?
 6. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के किस नियम व प्लॉट LS-5 की लीज़ डीड की किस शर्त के अंतर्गत आवंटी परियोजना के नाम की निर्माण शुरू करने से पूर्व प्राधिकरण की अनुमित लेने के लिए बाध्य है ?
 7. क्या मेसर्स वर्धमान इंफ्रा बिल्ड द्वारा प्लॉट LS-5 के लिए निष्पादित हुई लीज़ डीड के प्रस्तर 12 . Implementation and completion of project के खंड 1 की शर्तों का पालन किया गया यदि नहीं तो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा वर्धमान इंफ्रा बिल्ड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डीड के साथ सलंगन नक्शे में दर्शायी ग्रीनबेल्ट/पार्क में से भी आवागमन के लिए मार्ग बनाने व साइट आफिस बनाने की स्वीकृति दी गयी है?

9. प्लॉट LS-5 के लिए निष्पादित लीज़ डीड की शर्तों के अनुसार कुल प्लॉट के कितने प्रतिशत एरिया का कवरेज करना था और वर्तमान में आवंटी द्वारा कुल प्लॉट के कितने प्रतिशत प्लॉट को कवर किया हुआ है?

• आवेदन के साथ अदा किये गए पोस्टल आर्डर का क्रमांक:- 54F425284, 54F425285, 54F425286

नोट:- यदि सूचना प्राप्त कराने में कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसे आवेदक वहन करने को तैयार है। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविध के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

स्थान:- गौतम बुद्ध नगर

दिनांक:- 25/8/22


आवेदक के हस्ताक्षर

MINTOO BHATI
Advocate
Ch. No.- 696, Distt. Court Surajpur
G.B. Nagar, Mob.: 9811640075
E-mail: advocatebhati0075@gmail.com